संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा-4(ग) के अधीन पुनर्ग्रहीत भूमि के मूल्य में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1)ग में व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वाषिक किराया प्राप्त किया जायेगा।

2. ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमियों के आवंटन के बदले मूल्य लिये जाने के संबंध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक-03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में वर्णित व्यवस्था में सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्ग्रहण का मूल्य जहां वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु पुनर्ग्रहीत हों, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की जायेंगी।

तदनुसार पूर्व में निर्गत एतद् विषयक राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 प्रस्तर-4(1)(ग) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-3।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।